

म0प्र0शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल.

क्रमांक/51-15-7/15/14-3/


भोपाल, दिनांक 01 मई 2015

परिपत्र

प्रदेश के कृषकों तथा कृषि आधारित रोजगार प्राप्त कृतकारियों के जीवन यापन हेतु सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2008 दिनांक 27.09.2008 से संचालित की जा रही है। योजना के नियम/प्रावधान के अंतर्गत हितग्राहियों के प्राप्त आवेदन को स्वीकृत कर, भुगतान करने के अधिवार जिला कलेक्टर को प्रदत्त हैं।

प्रायः देखने में आया है कि योजनांतर्गत हितग्राहियों को समय पर सहायता राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण समाधान ऑनलाईन एवं सी.एम.हेल्पलाईन तथा अन्य माध्यम से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

अंतः योजना के नियम/प्रावधान अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों को 07 दिवस की समय-सीमा में जांच उपरांत स्वीकृत करें एवं 15 दिवस की समयावधि में हितग्राहियों को सहायता राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करें।


(~~डॉ० राजेश राज~~)

प्रमुख सचिव,

म0प्र0शासन,

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,


मंत्रालय, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 01 मई 2015

क्रमांक/51-15-7/15/14-3/

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, किसान भवन, 26 अररा हिल्स, जेल रोड, भोपाल.
2. कलेक्टर - जिला.....(समस्त) म0प्र0।
3. संयुक्त संचालक/उप संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आचार्य कार्यालय - भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा।


प्रमुख सचिव
म0प्र0शासन,

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,
मंत्रालय, भोपाल.

मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड

Agri/602 - 04/04/15

Addis (HDV)

